EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
General Manager (P)
Hajipur

Date: 31.07.2019

No. ECR/HRD/Gaz/254/APO(Gr.'B') selection/70%(2019)

Secy. to GM- for kind information of GM
General Manager(P)/CORE/Allahabad
AGM/ECR/HJP
All PHODs/CHODs, ECR/Hajipur
CAO/Con(N&S)/MHX/ECR/PNBE
CPO/Law & Cons/MHX/PNBE
CAO/WP/PNBE
SDGM/ECR/HJP
PFA/ECR/HJP
DRMs/ECR- DNR, MGS, DHN, SEE & SPJ
CWM –PD/MGS, WS/SPJ & CRW/HRT
Chairman/RRB/Patna & MFP, CPD/RE/DNR
Chairman/RRC/Digha Ghat/Patna
Sr. DPOs/ECR- DNR, MGS, DHN, SEE & SPJ
Dy.CPO(Con)/MHX/PNBE
Addl. Registrar/RCT/Patna
DGM(Law)/ECR/HJP at Patna
Dy.CMM/GHZ & SPJ
Principal/ZRTI/ECR/Bhuli & MFP
SPO(Rectt.)/ECR/HJP
SPO/M&E and SPO/ESM/ECR/HJP
APO/MPP/HJP (For uploading on website)
All Extra Divisional Units.

Sub:- Selection for the post of Assistant Personnel Officer (Group'B') in Level-8 of Pay Matrix, (Pay Band Rs. 9300-34800/- (PB-2) Grade Pay –4800/- as per 6th CPC) against 70% quota.

*****

With the approval of General Manager, it has been decided to hold a selection for formation of the panel against 06 (UR-04, SC-01 & ST- 01) vacancies of the post of Assistant Personnel officer (Group 'B') against 70% quota over E.C.Railway, as per details given below: -

(1) Schedule of Examination

(a) Date of Written Examination	:- Will be intimated in due course
(b) Time	:- 11.00 hours.
(c) Duration	:- 02 hours
(d) Venue	:- E.C.Railway Sr. Secondary School/Danapur (Khagaul)

(2) Cut off date: 02.07.2019

Normally there is no provision for holding absentee written examination. However, in exceptional circumstances where sufficient and satisfactory reasons beyond control of candidates are available, (viz. either the candidate was under RMC or he was not spared by his controlling officer due to administrative reasons), with the approval of competent authority, only such candidates may be allowed to appear in absentee written examination. It will be responsibility of the candidate to advise reasons of absence through controlling officer to Dy.CPO/Gaz./ECR/HJP within 03 days from the date of written examination. In case of failure to comply the above instructions by the candidate, he/she will not be allowed to appear in the absentee written examination, if held.

(3) <u>Eligibility</u>-

Permanent Group 'C' employees who have rendered not less than 03 years non-fortuitous service in Level-6 of Pay Matrix (pay Band of Rs. 9300-34800/-(PB-2)Grade Pay-Rs.4200/- as per 6th CPC) and above as on 02.07.2019, are eligible to apply for the above mentioned selection.

As per IREM Vol. I, Para 203.2, if any junior employee is called in the selection who fulfills the laid down service conditions, his/her seniors in the cadre, who have not completed 03 years service condition in Level-6 of Pay Matrix (pay Band of Rs. 9300-34800/-(PB-2)Grade Pay-Rs.4200/- as per 6th CPC) will also be eligible to be called for, if applied.

The cut-off date of eligibility for candidates both for 70% selection and corresponding 30% LDCE (to be notified later) is 02.07.2019.

(4) STAFF OF VARIOUS DEPARTMENTS WHO ARE ELIGIBLE TO APPLY:-

The selection is open to the volunteers from the following categories of permanent Group-'C' staff who fulfill the conditions mentioned in Para (2) above:-

(i) All permanent Group 'C' staff of Personnel Department, excluding teaching staff.

(ii) All permanent Group 'C' MINISTERIAL STAFF of the following department:-

(a) General Administration Department (GM's office)

(b) Medical Department & Secuirty Department.

(c) Cash & Pay office.

(d) Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering & Signal & Telecommunication Departments (excluding staff of Drawing wing)

(e) Operating Department.

(f) Commercial, Stores Department & Statistical Branch of Accounts Department:-(All Gr.'C' ministerial staff of these departments, provided they submit their written undertaking to the effect that they will seek their further advancement in Group-'B' service in their respective departments.)

(g) Permanent Group-'C' employees of Legal Branch of General Administration and Commercial(Claims) Departments i.e. LS/CLA/LA, provided they submit options for their further advancement in Gr.'B' service for the post of Assistant Personnel Officer only, NOT in Group-'B' services of Assistant Law Officer/Assistant Commercial Manager of their normal AVC.

(h) All Private Secretary/Gr.-II, who fulfills the eligibility criteria i.e. 03 years non-fortuitous service in Group-'C' in Level-6 of Pay Matrix (PB-2, Rs. 9300-34800/-) Grade Pay-Rs.4200/- as per 6th CPC) & above.

(a) In case of any employee covered under item no. (f), (g) and (h) above volunteers for the selection of APO (Gr.'B'), his/her "OPTION" seeking advancement either in Group-'B' post of APO or advancement in his/her permanent Gazetted cadre, should be exercised within 30 days from the date of announcement of the final result of the above selection. Option once exercised to this effect will be treated as final.

(b) All the volunteers who fulfill the above-mentioned conditions of eligibility will get the chance to appear in the said selection, without any restrictions to the number of eligible candidates to be allowed for appearing in the written examination.

(c) The above selection will based on the candidate's performance in Written Examination, Viva-voce and Record of Service. The candidates, who qualify in the Written Examination followed by medical test of specified category will only be called for the Viva-voce. The number of candidates to be called for Viva-voce will be restricted to six times of the number of vacancies in order of merit. The placement of the candidates in the panel based on their performance in written exam/viva-voce/Record of service will be as per extant instructions.

31/7/19

(d) Syllabus:- In terms of Railway Board's letter No. E(GP)2018/2/31 dated 19.03.2019 (RBE No. 53/2019), the written examination shall comprise of one Paper which shall have 100% objective type Multiple Choice Questions only. The paper will be of 100 marks and the distribution will be as under:

a. Professional / Technical Subject including Official Language policy : 70 marks
b. Establishment and Financial Rules : 30 marks
c. Qualifying marks : 60

Best amongst failure scheme for candidates belonging to reserved categories (SC/ST) in non-safety category posts will continue as per existing instructions.

(e) The question paper will be bilingual, i.e. in Hindi and English. It will be open to the candidates choice to write in any one of these languages The candidates should clearly indicate his choice of language in the space of the application format.

(f) The Controlling Officers must give wide publicity of this notification amongst the eligible employees under their control and ensure submission of applications by the candidates in the prescribed Proforma (specimen copy of Proforma is enclosed as Annexure-'A') within the stipulated time mentioned below.

The last date for submission of the application by candidates duly countersigned by their Controlling Officer to the concerned Personnel Branch Officer is **29.08.2019**. The filled-up applications should be scrutinized properly by associate Personnel Branch with the service records to avoid any factual errors and future complications. The applications should also be signed by the Controlling Officer with official seal and should have the counter signature of the concerned 'P' Branch Officer. All the applications received by the Personnel Branch Officers through Controlling Officers should be sent in a bunch so as to reach Ch. OS/Gaz. of GM(P)'s Office, ECR, Hajipur, on or before **04.09.2019** positively. Applications forwarded after the last date will not be entertained under any circumstances. It may please be noted that application other than in prescribed Performa or without signature of Controlling Officer and counter signature of Personnel Branch Officer will not be entertained.

(g) A copy of syllabus relating to Professional subject (Establishment) & Financial Rules is enclosed as Annexure-'B' for wide circulation amongst the eligible candidates.

(h) In case, service particulars furnished by the volunteers/certified to be in order by the concerned authority are found incorrect/false subsequently, the candidature of such volunteers will be liable to cancelled at any stage during & even after the above selection process.

(i) TRAINING OF SC/ST CANDIDATES:-

In terms of Railway Board's letter No. E(MPP)96/3/23 dated 21.07.2000, SC/ST candidates will be provided mandatory training for 03-04 weeks (21 working days). Date & Venue will be notified in due course.

Please acknowledge receipt.

Encl:- (i) Proforma (Annexure-'A')
(ii) Syllabus (Annexure-'B')

31/7/19

(Dilip Paswan)
SPO/Gaz
for General Manager(P)

Annexure 'A'

PROFORMA OF APPLICATION TO BE FILLED UP BY THE VOLUNTEER FOR THE POST OF APO (Group-'B') AGAINST 70% QUOTA ATTACHED WITH THIS OFFICE NOTIFICATION No.ECR/HRD/GAZ/254/APO(Gr.B)/Selection/70% (2019) dated 31.07.2019.

1. Name in full (Block Letters) :
2. Designation and station :
3. Working under :
4. Educational qualification :
5. Date of Birth :
6. Date of appointment to Railway service :
7. Whether the candidate belongs to SC/ST community (if yes, a copy of caste/Tribe certificate duly attested by a Gazetted Officer should be enclosed.) :
8.

Date of appointment/promotion to be following grade on regular basis (6th PC)	Days	Month	Year
(a) In PB-2 GP-4200			
(b) In PB-2 GP 4600			

9. Length of non-fortuitous service (Regular Promotion) to the following grade as on 02.07.2019.

	As on	Year	Month	Days
(a) In PB-1 GP-2800	02.07.19			
(b) In PB-2 GP-4200	02.07.19			
(c) In PB-2 GP 4600	02.07.19			

10. Present pay & scale & Date of promotion (regular) to present scale :
11. Choice of language to answer the question (English/Hindi). The candidate should indicate His/her choice, either any one of the above two language. :
12. DECLARATION OF THE CANDIDATE:-
    I do hereby declare that the above particulars furnished by me are true to be best of my knowledge and belief, I further undertake that in the even of any entry above is found incorrect or not in order, my candidature shall liable to be cancelled at any stage during pendency of the above selection.

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

(A) Forwarding the application (filled-up) furnished by the candidate to be cadre (Personnel branch) officer by his/her controlling officer:-
The proforma of Bio-data filled up by the candidates, Shri/Smt.____________________

Designation______________received within the target date is hereby forwarded to his/her respective cadre (Personnel Branch) officer for verification with the service record available in his/her officer and for onward transmission to the General Manager (P)/ECR/Jahipur.

SIGNATURE OF CONTROLING OFFICER
(with office seal & date)

(B) Certificate to be furnished by the cadre (Personnel Branch) officer:-
It is certify that the service particulars furnished by Shri/Smt.____________________
Designation_____________ through the above proforma (Bio-data) have been verified with his/her service record and found correct and it has been forwarded to GM(P)/ECR/Hajipur for further necessary action.

SIGNATURE OF THE CADRE ('P' BRANCH) OFFICER
(with office seal & date)

31/7/19

SYLLABUS FOR SELCTION TO THE GROUP 'B' POST OF APO AGAINST 70% SELECTION

Establishment Rules & No.53/2019Financial Rules	**- 30 Marks**	**As per RBE No.53/2019 Dt.19.3.2019**
Professional Subject/Technical subject Including Official Language	**-70 Marks**	

Professional Subject:

1. Personnel department on Indian Railways, Legal framework, industrial laws, industrial relations and grievance redressal system:

   a. Organization and Role of Personnel Department, its functions and objectives, Schedule Of Powers in Establishment Matters

   b. Service law, CAT, High Courts, Supreme Court and effective handling of court cases, filing of Review Petitions, SLP, engagement of Advocates and payment of fees to them and their related issues.

   c. Labour legislations viz, Factories Act, its applicability to Workshops and other Railway establishments, Special Rules for Workshop staff in Railways, payment of wages, Workmen's Compensation Act, ex-gratia payment, incentive bonus scheme, Minimum Wages Act, etc.

   d. Hours of Employment Regulations, conducting of job analysis, payment of overtime, etc.

   e. Engagement of casual labour and substitutes, policy and procedure thereof. Contact Labour (Regulation & Abolition) Act, 1972, The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal Act, 2013).

   f. Recognition of Trade Unions and dealing with unrecognized Trade Unions/Associations Industrial disputes, their causes, strikes, lockouts, layoffs, provisions of Industrial Disputes Act and functions of Labour Enforcement Officers and Labour courts.

   g. Grievance Redressal mechanism, Staff Welfare- Staff Benefit Fund, Consumer Co-op. Societies, medical assistance, Workers' Education Scheme Societies, educational assistance.

2. Manpower planning, methods of recruitment in Railways:

   a. Manpower planning, surrender and creation of posts, work charged posts, temporary posts, supernumerary posts, vacancy bank etc.

31/7/24

b. Recruitment:

(i) Recruitment at various levels and methods of recruitment:
- Functioning of Railway Recruitment Boards.
- Recruitment at Zonal Railways including recruitment of artisan staff. RRC, its roles and functions.
- Appointment of land losers, compassionate ground appointments Sports quota appointments, Cultural quota and Scouts & Guide quota, appointments etc.
- Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS)

(ii) Various Gr. 'A' organized services and recruitment to organized Gr. 'A' Railway Services.

(iii) Direct recruitment quota as well as quota for recruitment for intermediate grades.

(iv) Reservation in recruitment, horizontal and vertical reservation, reservation rosters etc.

c. Apprentice act and Implementation of Apprentices Act.

d. Absorption of medically de-categorized staff in alternative posts.

3. Training and Development: Basic concept of training and human resource development. Training and Development of Railway employees with emphasis on the following aspects:

a. Training of Group C employees.
b. Functioning of Zonal Training Schools and other training institutions.
c. Training of Gazetted Officers in Railways as well as non-Railways institutions.
d. Various Railway Training Institutes like NAIR, IREEN, IRITM, IRISET etc.
e. Future developments in Railways, the changing roles of Railway personnel and the need for on the job retaining, multi skilling etc.

4. Pay and Allowances: Preparation of Pay bills, Pay and allowances in the Railways i.e. Pay bands, Grade pay etc. Principles of pay fixation in case of appointment and promotion (functional and non functional promotions etc). Instances of pay protection etc. The various allowances admissible to the Railway employees including allowances to the running staff. Reimbursement of tuition fees and legal expenses. TA rules, Loans and advances admissible to the Railway employees and conditions thereof, PLB, etc.

5. Seniority and promotion:

a. Rules regulating determination of seniority and procedure for promotion against selection and non-selection posts.

b. Provision of reservation for schedule Caste and Scheduled Tribe employees. Maintaining of reservation roasters.
c. Other relaxations available to SC/ST candidates in safety and non-safety category posts and procedure for de-reservation of posts.
d. Performance appraisal – APAR, procedure, maintaining of records, communication of adverse comments etc.
e. NBR, sealed cover procedure etc.

6. Retirement benefits:
   a. Pension rules (new and old) , provident fund rules, leave encashment rules, Gratuity rules,
   b. Retirement benefits under different circumstances (superannuation, voluntary retirement, resignation, dismissal, technical absorption etc),
   c. Impact of Disciplinary & Appeal Rules, penalties etc on retirement benefits,
   d. Pension adalats, timely settlement and Redressal of grievances related to settlement,
   e. Retirement benefits under Provident Fund & Pension rules and Schemes of Financial Settlement.

7. The Disciplinary & Appeal Rules, (1968), Railway Services Conduct Rules, (1966) & Schedule of Disciplinary Powers.

8. Pass Rules, Leave Rules and joining time. Medical assistance to Railway employees and retired Railway employees.

9. Computerization of records and personnel management functions (Human Resource Management System) - benefits, challenges and implementation.

10. Right to Information Act, 2005.

11. Official Language Policy and Official Language Rules.

[signature] 31/7/09

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (का0)
हाजीपूर

अधिसूचना

सं0 : ईसीआर/एचआरडी/राज0/254/एपीओ(ग्रुप 'बी') सेलेक्शन/70%(2019)

दिनांक : 31.07.2019

महाप्रबंधक के सचिव–महाप्रबंधक को कृपया सूचनार्थ
महाप्रबंधक (का0)/कोर/इलाहाबाद
अ0म0प्र0/पूमरे/हाजीपूर
सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/प्रमुख विभागाध्यक्ष/पूमरे/हाजीपूर
मु0प्रशा0अधि0/नि0(उ0 एवं द0)महेन्द्रुघाट/पूमरे/पटना
मुकाधि/विधि एवं निर्माण/महेन्द्रुघाट/पटना
मु0प्रशा0अधि0/वर्कशॉप/पटना
वरि0उप म0प्र0/पूमरे/हाजीपूर
प्र0वि0स0/पूमरे/हाजीपूर
मं0रे0प्र0/पूमरे–दानापुर,मुगलसराय,धनबाद,सोनपुर एवं समस्तीपुर
मु0का0प्र0–पीडी मुगलसराय,वर्कशाप/समस्तीपुर एवं सडिमका/हरनौत
अध्यक्ष/रे0य0बो0/पटना एवं मुजफ्फरपुर मु0परि0नि0/आरइ/दानापुर
अध्यक्ष/आर0आर0सी0/दीघाघाट/पटना
व0मंकाधि/पुमरे–दानापुर,मुबलसराय,धनबाद,सोनपुर एवं समस्तीपुर
उपमुकाधि(नि0)/महेन्द्रुघाट/पटना
अपर रजिस्टार/रे0दा0अधि0/पटना
उप मु0प्र0(विधि)/पूमरे/हाजीपुर (पटना में)
उप मु0सा0प्र0/गडहरा एव्र समस्तीपुर
प्राचार्य/क्षे0रे0प्र0सं0/पूमरे/भूली एवं मुजफ्फरपुर
व0काधि(भर्ती)/पूमरे/हाजीपुर
वकाधि/एम एंड इ एवं वकाधि/ईएसएम/पूमरे/हाजीपूर
वकाधि/एमपीपी/हाजीपुर(वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)
सभी अतिरिक्त मंडल ईकाइयॉ

विषयः– सहायक कार्मिक अधिकारी(ग्रुप–'बी') 70% कोटा पे मैट्रिक्स (6ठे रे0वे0आ0 के अनुसार पे बैंड रु9300–34800/–(पीबी–2)ग्रेड वेतन–4800/–) के लेवल–8 के विरूद्ध चयन।.

महाप्रबंधक के अनुमोदन से, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पूर्व मध्य रेल पर सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप 'बी') 70% कोटा के विरूद्ध कुल 06 रिक्तियों (अना0–04, अजा0–01 एवं अजजा0–01) को भरने हेतु पैनल तैयार किया जाना है जिसके लिए चयन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया गया है।

1. चयन परीक्षा का कार्यक्रम
   (क) लिखित परीक्षा की तिथि :– बाद में सूचित किया जायेगा।
   (ख) समय :– 11:00 बजे
   (ग) अवधि :– 02 घंटा
   (घ) स्थान :– पूर्व मध्य रेल, सीनीयर सेकेंडरी स्कूल/दानापुर (खगौल)
2. **कट ऑफ तिथि – 02.07.2019**

सामान्यतया अनुपस्थिति लिखित परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, आपवादिक परिस्थितियो में जहॉ पर्याप्त और संतोषजनक कारण उम्मीदवारों के नियंत्रण से परे हों (अर्थात उम्मीदवार आरएमसी के अधीन था अथवा, प्रशासनिक कारणों से अपने नियंत्रक अधिकारी द्वारा विरमित न किया गया), के मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केवल ऐसे उम्मीदवारों को अनुपस्थिति लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती हैं। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित परीक्षा की तिथि से 03 दिनों के अंदर नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उपमुकाधि/राज0/पूमरे/हाजीपुर को अनुपस्थिति के कारणों के संबंध में सूचित करे। उम्मीदवार द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर उसे अनुपस्थिति लिखित परीक्षा (यदि आयोजित हुई) में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. <u>पात्रता</u>

स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी जिन्होंने अधिक 6ठे वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स (पे–बैंड रु9300–34800/–(पीबी–2) के ग्रेड वेतन–4200/– एवं अधिक में 02.07.2019) को 03 वर्षों से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण किये हों, उपर्युक्त चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगें।

भारतीय रेल स्थापना नियम भाग–I के पैरा 203.2 के अनुसार, यदि कोई कनिष्ठ कर्मचारी को चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाता हैं (जो निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करते हों) और उस कैडर में उसके वरिष्ठ जिन्होंने 6ठे रे0वे0आ0 के अनुसार पे मैट्रिक्स (पे बैंड रु9300–34800/–(पीबी–2) के ग्रेड वेतन–4200/–) के लेवल–6 में 03 वर्षों की सेवा शर्तों को पूरा न किया हो, वे भी बुलाये जाने के लिए (यदि आवेदन किया हो) पात्र होंगें।

70% चयन और संगत 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (बाद में अधिसूचित किया जाएगा) दोनों के लिए उम्मीदारों की पात्रता की कट–ऑफ तिथि 02.07.2019 है।

4. आवेदन करने के लिए विभिन्न विभाग पात्र होंगें :–

स्थायी ग्रुप 'सी' के इच्छुक कर्मचारी जो उपर्युक्त पैरा(3) में वर्णित शर्तो को पूरा करते हों, वैसे कर्मचारी चयन में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(i) कार्मिक विभाग के सभी स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी **(शिक्षण कर्मचारी को छोड़कर)**।

(ii) निम्नलिखित विभगों के सभी स्थायी ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय कर्मचारी

(क) सामान्य प्रशासन विभाग (महाप्रबंधक कार्यालय)

(ख) चिकित्सा विभाग एवं सुरक्षा विभाग

(ग) रोकड एवं वेतन कार्यालय

(घ) सिविल इंजीनियरींग, यांत्रिक इंजीनियरींग, विधुत इंजीनियरींग, एवं सिगनल व दूरसंचार विभाग **(ड्राइंग विंग के कर्मचारी को छोडकर)**।

(ड.) परिचालन विभाग

(च) वाणिज्य, भंडार विभाग एवं लेखा विभाग का सांख्यिकी शाखा :–
इन विभागों के सभी ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय कर्मचारी इस शर्त के साथ कि वे इस आशय का अपना लिखित शपथ प्रस्तुत करते है कि वे अपने संबंधित विभागों में ग्रुप–'बी' सेवा में आगे पदोन्नति नहीं चाहेंगें।

(छ) सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य(दावा) विभागों के विधि शाखा के स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी अर्थात् विधि अधीक्षक/मुख्य विधि सहायक/विधि सहायक बशर्ते कि वे केवल सहायक कार्मिक अधिकारी पद के लिए ग्रुप 'बी' सेवा में अपने आगे की पदोन्नति के लिए विकल्प प्रस्तुत करते है, न कि अपने सामान्य एवीसी के सहायक विधि अधिकारी/सहायक वाणिज्य प्रबंधक की ग्रुप 'बी' सेवा में।

(ज) सभी निजी सचिव/ग्रेड–II जो(अर्थात पे मेट्रिक्स 6ठे के0वे0आ0 के अनुसार पे बैंड 9300–34800/(पीबी–2) ग्रेड वेतन– रु4200/–) के लेवल–06 में ग्रुप 'सी' में तीन वर्षो की निरंतर सेवा एवं उपर्युक्त के लिए पात्रता शर्तो को पूरा करते हों।

(क) मद सं0 (च),(छ) एवं (ज) के अन्तर्गत सकाधि/ग्रुप–'बी' के चयन परीक्षा हेतु, यदि कोई कर्मचारी सकाधि के ग्रुप 'बी' पद अथवा अपने स्थायी राजपत्रित संवर्ग में पदोन्नति चाहने वाले को उपर्युक्त चयन परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर अपने विकल्प देने चाहिए, इस आशय का एक बार दिया गया विकल्प को अंतिम माना जाएगा।

(ख) उपर्युक्त पात्रता शर्तो को पूरा करने वाले सभी इच्छुक एवं पात्र कर्मचारियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा उन्हें उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा।

(ग) उपर्युक्त चयन लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं सेवा अभिलेख के आधार पर उम्मीदवार के प्रदर्शन (परफारमेन्स) पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा और उसके साथ विनिर्दिस्ट श्रेणी की चिकित्सा जॉच में सफल धोषित होने वाले उम्मीदवारों को ही मौखिक परीक्षा हेतु, बुलाया जाएगा जो योग्यता–कम से रिक्तियों की संख्या के अधिकतम छह गुणा होंगें। पैनल में उम्मीदवारों का प्लेसमेंट, रेलवे बोर्ड के निर्देशों के वर्तमान प्रकिया के अनुसार होगा।

(घ) <u>पाठ्यक्रम</u> :– रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 ई(जीपी)2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 (आरबीई सं0 53/2019) के अनुसार, लिखित परीक्षा में केवल 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प प्रश्न का एक पत्र होगा। पत्र 100 अंक का होगा जिसका विवरण निम्नानुसार होगा :–

क. राजभाषा नीति सहित व्यवसायी/तकनीकी विषय	: 70 अंक
ख. स्थापना एवं वितीय नियम	: 30 अंक
ग. अर्हक प्राप्तांक	: 60 अंक

गैर संरक्षा श्रेणी पदों में आरक्षित श्रेणियों(अजा/अजजा) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अनुतीर्ण उम्मीदवारों में सर्वोत्तम (Best among failed) योजना वर्तमान निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

(ड.) प्रश्न–पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में होगा। इन भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने के लिए यह उम्मीदवारों का विकल्प होगा। आवेदन फॉर्मेट के निर्धारित कॉलम में उम्मीदवारों को अपने भाषा विकल्प को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए।

(च) नियंत्रक अधिकारी को अपने नियंत्रणाधीन पात्र कर्मचारियों के बीच इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार करना चाहिए तथा उम्मीदवारों द्वारा नीचे दिए गए निर्धारित समय के अंदर निर्धारित प्रोफॉमा (अनुलगन 'ए' में संलग्न नमूना प्रति) में. आवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा, उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन संबंधित कार्मिक शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 29.08.2019 है। कार्मिक शाखा द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों की सेवा–अभिलेखों के साथ हर संभव जॉच करायी जानी चाहिए ताकि किसी भी तथ्यात्मक त्रुटियों और भविष्य में जटिलताओं से बचा जा सके। आवेदन पत्र सरकारी मुहर के साथ नियंत्रक अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित होने चाहिए और उस पर संबंधित "कार्मिक" अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर भी होने चाहिए। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्र एक साथ समेकित कर भेजे जाने चाहिए, ताकि दिनांक 04.09.2019 को या उससे पूर्व मुख्य कार्यालय अधीक्षक/राज0, महाप्रबंधक कार्यालय, पूमरे, हाजीपूर के पास पहुँच जाए। अंतिम तिथि के बाद अग्रेसित किए गए आवेदनों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रोफार्मा से भिन्न अथवा नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं जॉच संबंधित तथा कार्मिक अधिकारी के प्रति–हस्ताक्षर के बिना आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(छ) पात्र उम्मीदवारों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए व्यावसायिक विषय(स्थापना) एवं वितीय नियम से संबंधित पाठ्यक्रम के प्रति–अनुलग्नक–'बी' में संलग्न है।

(ज) यदि इच्छुक पात्र कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा जॉच के कम में अभिप्रमाणित सेवा–विवरण बाद में गलत/मिथ्या पाए जाते है, तो उनकी पात्रता उपर्युक्त चयन प्रकिया के दौरान अथवा बाद में किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी।

(झ) अजा/अजजा उम्मीदवारों का प्रशिक्षण :–

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 ई(एमपीपी)96/3/23 दिनांक 21.07.2000 के अनुसार अजा/अजजा उम्मीदवारों को 03–04 सप्ताह (21 कार्य दिवस) तक अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। अजा/अजजा की अंतिम सूची के साथ तिथि एवं स्थान बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

नोट : किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में जारी अधिसूचना मान्य होगी।

कृप्या पावती दें।

संलग्न :

(i) प्रोफार्मा (अनुलग्नक 'क')
(ii) पाठ्यक्रम (अनुलग्नक 'ख')

(दिलीप पासवान)
वकाधि/राज0
कृते महाप्रबंधक(का0)

अनुलग्नक–'क'

इस कार्यालय अधिसूचना सं. ईसीआर/एचआरडी/राज0/254/एपीओ(ग्रुप 'बी') चयन 70%/2019 दि. 31.07.2019 के साथ संलग्न 70% कोटा के अंतर्गत सकाधि (ग्रुप 'बी') पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाल आवेदन का प्रपत्र।

1. पूरा नाम (बडे अक्षरों में) :–
2. पदनाम एवं स्टेशन :–
3. अधीन कार्यरत :–
4. शैक्षिक अर्हता :–
5. जन्म तिथि :–
6. रेल सेवा में नियुक्ति तिथि :–
7. क्या अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से है :–
   (यदि हाँ, तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिक्षित/अभिप्रमाणित, जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र की एक प्रति संलग्न।)
8.

नियमित आधार (छठा सीपीसी) पर निम्नलिखित ग्रेड में नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	दिन	माह	वर्ष
(क) पीबी – II ग्रेड–4200 में			
(ख) पीबी – II ग्रेड–4600 में			

9. 02.07.2019 को निम्नलिखित ग्रेड में निरंतर सेवा (नियमित पदोन्नति) अवधि

	को	वर्ष	माह	दिन
(क) पीबी–II ग्रेड–2800 में	02.07.2019			
(ख) पीबी – II ग्रेड–4200 में	02.07.2019			
(क) पीबी – II ग्रेड–4600 में	02.07.2019			

10. वर्तमान वेतन एवं वेतनमान एवं वर्तमान वेतन में पदोन्नति (नियमित) की तिथि
11. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भाषा का विकल्प (हिन्दी/अंग्रेजी) अभ्यर्थी उपर्युक्त दोनों भाषाओं में से किसी एक का अपना विकल्प दें।
12. <u>अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा।</u>

मै एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहां तक पता है और विश्वास है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गए उपर्युक्त विवरण सत्य है। मैं पुनः वचन देता/देती हूँ कि उपर्युक्त किसी भी प्रविष्टि के गलत अथवा क्रम में नहीं पाये जाने पर मेरी पात्रता उपर्युक्त चयन के निर्णय के दौरान किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत (भरे गए) आवेदन को उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा संवर्ग/कैडर (कार्मिक शाखा) को अग्रेषित करना :–

(क) अभ्यर्थी, श्री/श्रीमती .... द्वारा लक्ष्य तिथि के अंदर प्राप्त बायोडाटा–प्रपत्र (भरे गए) को उसके कार्यालय में उपलब्ध सेवा–अभिलेख से सत्यापित करने तथा आगे महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर को प्रेषित करने के लिए उनके संबंधित कैडर (कार्मिक शाखा) को एतद्द्वारा अग्रेषित किया जाता है।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर एवं तिथि सहित)

(ख) कैडर (कार्मिक शाखा) अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाण–पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रपत्र (बायोडाटा) में श्री/श्रीमती ....पदनाम.................................... द्वारा प्रस्तुत किये गए सेवा–विवरण, उनके सेवा–अभिलेख से सत्यापित किये गए है और सही पाये गए है और इसे आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर को अग्रेषित किया जाता है।

कैडर (कार्मिक शाखा) अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर एवं तिथि सहित

अनुलग्नक–'ख'

70% चयन के अंतर्गत सकाधि के ग्रुप 'बी' पद के चयन हेतु पाठ्यक्रम

स्थापना नियमावली एवं वित्तीय नियमावली – 30 अंक
वृत्तिक (प्रोफेशनल) विषय / तकनिकि विषय – 70 अंक
राजभाषा सहित

आर बी0ई0सं053 / 2019
दिनांक 19.03.2019

1. भारतीय रेलों पर कार्मिक विभाग, कानूनी ढॉचा, औघोगिक कानून, औघोगिक संबंध और शिकायत निवारण प्रणाली।

(क) कार्मिक विभाग के संगठन एवं भूमिका, इसके कार्य और उद्देश्य, स्थापना मामलों में शक्तियों की अनुसूची।

(ख) सेवा कानून, कैट, उच्च न्यायालय, उच्चतम–न्यायालय और अदालती मामलों का प्रभावी कारवाई करना, समीक्षा याचिकाओं को भरना, एस एल पी, अधिवक्ताओं की नियुक्ति तथा उन्हें शुल्क का भुगतान करना एवं उनसे संबंधित मुद्दे।

(ग) श्रम विधान अर्थात कारखाना अधिनियम, कारखानों एचं अन्य रेल स्थापनाओं के लिए इसकी प्रयोज्यता, रेलों पर कारखाना कर्मचारी के लिए विशेष नियम, मजदूरी का भुगतान, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, अनुग्रही भुगतान, लाभांश योजना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि।

(घ) रोजगार विनियम के घंटे, कार्य विश्लेषण करना, समयोपरि भत्ते आदि का भुगतान।

(ड.) अनियमित मजदूर एवं एवजियों की नियुक्ति, उनकी नीति एवं प्रकिया, संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम 1972, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)।

(च) ट्रेड यूनियन की मान्यता और अमान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों / संधों के साथ कार्य, औधोगिक विवाद, उनके कारण हडताल, तालाबंदी,कामबेरी, औधोगिक विवाद अधिनियम का प्रावधान, अप–प्रवर्तन अधिकारियों के कार्य एवं श्रम / न्यायालय।

(छ) शिकायत निवारण प्रविधि, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी हित निधि उपभोक्ता सहकारी समितियॉ, चिकित्सा सहायता कामगार शिक्षा योजना समितियॉ, शैक्षिक सहायता।

2. जनशक्ति योजना, रेलों में भर्ती की विधियॉ :–

(क) जनशक्ति योजना, पद्रों का समर्पण एवं सृजन, कार्य प्रसारित पद, अधिसंख्य पद, रिक्ति बोझ इत्यादि।

(ख) <u>भर्ती</u>

(i) विभिन्न स्तरों पर भर्ती एवं भर्ती की विधियॉ,

- रेलवे भर्ती बोर्डो की कार्य प्रणाली
- कारीगरों की भर्ती सहित श्रेत्रीय रेलों पर भर्ती, रेल प्रकोष्ठ इसकी भूमिका एवं कार्य
- जमीन खोने वालों की नियुक्ति, अनुकंपा आधारित नियुक्तियॉ, खेलकूद कोटा नियुक्तियॉ, सांस्कृतिक कोटा एवं स्काउट एवं गाइड कोटा नियुक्तियॉ आदि।
- संरक्षा कर्मचारी के गारेंटित रोजगार हेतु उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना।

(ii) विभिन्न ग्रुप 'ए' संगठित सेवाएं और संगठित ग्रुप 'ए' रेल सेवा के लिए भर्ती।

(iii) सीधी भर्ती कोटा एवं मध्यवर्ती ग्रेडों के लिए भर्ती कोटा।

(iv) भर्ती में आरक्षण, क्षैतिज एवं उर्ध्व आरक्षण, आरक्षण रोस्टर इत्यादि।

(ग) प्रशिक्षु अधिनियम एवं प्रशित अधिनियम का कार्यान्वयन।

(घ) वैकल्पिक पदों पर चिकित्सकीय रूप से कोटि– निसित कर्मचारियों का आमेलन।

3.प्रशिक्षण एवं विकाश : प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विभाग का मूल अवधारणा, निम्नलिखित पहलूओं पर बल देते हुए रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास।

(क) ग्रुप 'सी' कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(ख) क्षेत्रिय प्रशिक्षण स्कूलों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली।

(ग) रेलवे और गैर–रेलवे संस्थानों में राजपत्रित अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(घ) विभिन्न रेलवे प्रशिक्षण संस्थान जैसे–भा.रे.श. अकादमी, इरीन, आईआरआईटीएस, इरिसेट इत्यादि।

(ड.) रेलों पर भावी विकाश कार्य, रेलवे कर्मियों की बदलती भूमिकाएं और जॉब रिटेनिंग की आवश्यकता, बहु–कौशल आदि।

4. वेतन एवं भत्ते : वेतन विपत्र तैयार करना, रेलों में वेतन एवं भत्ते अर्थात् पे बैंड, ग्रेड पे इत्यादि, नियुक्ति एवं पदोन्नति (कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पदोन्नति इत्यादि) की स्थिति में वेतन–नियतन के सिद्धांत रनिंग कर्मचारी के भत्ते सहित रेलवे कर्मचारियों को देय विभिन्न भत्ते। शिक्षण शुल्क एवंविधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता के नियम, रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार्य ज्ञण एवं अग्रिम एवं उनकी स्थितियॉ, उत्पादकता लाभांश इत्यादि।

5. <u>वरिष्ठता एवं पदोन्नति</u>

(क) वरिष्ठता निर्धारण संबंधी नियम–विनियम, चयन एवं गैर–चयन पदो के लिए पदोन्नति की प्रकिया।

(ख) अ.जा एवं अ.ज.जा.कर्मचारियों के लिए आरक्षण का प्रावधान।

(ग) संरक्षा एवं गैर–संरक्षा कोटि के वदों में अ.जा. / अ.ज.जा. अभ्यथियों के लिए उपलब्ध अन्य रियायतें एवं पदो के आरक्षण–निरसन की प्रकिया।

(घ) कार्य निष्पादन, मूल्यांकन– एसीआर / एपीएआर, प्रकिया, अभिलेखों का रखरखाव, प्रतिकूल टिप्पणियों इत्यादि बताना।

(ड.) एनसीआर, मुहरबंद कवर प्रकिया इत्यादि।

6. <u>भर्ती के हित लाभ :</u>

(क) पेंशन नियम (नया एवं पुराना), भविष्य निधि नियम, छुट्टी नकदीकरण नियम,उपदान नियम।
(ख) विभिन्न परिस्थितियों (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, तकनीकी आमेलन इत्यादि)
(ग) सेवानिवृत्ति हितलाभ पर अनुशासनिक एवं अपील नियं, अर्थदंड के प्रभाव
(घ) पेंशन अदालत, समय पर निपटान एवं निपटान से संबंधित शिकायतों का निवारण।
(ड.) भविष्य निधि एवं पेंशन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के हितलाभ एवं वित्तीय निपटान संबंधी योजनाएं।

7. अनुशासनिक एवं अपील नियम (1968), रेल सेवा आरक्षण नियम, (1966) एवं अनुशानात्मक शक्तियों की अनुसूची।
8. पास नियम, छुट्टी नियम, एवं कार्य ग्रहण समय, रेलवे कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता।
9. अभिलेखो का कम्प्यूटीकरण एवं कार्मिक प्रबंधन कार्य (मानव संसाधण प्रबंधन प्रणाली), हितलाभ, चुनौतियॉ एवं कार्यान्वयन।
10. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005।
11. राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम।

दिलीप
उ.भ.प्र.